

क्रमांक ५८५९ संख्या- १६१७००४ तिथि ०६-०५-२०१६
संख्या- विधि-1(3) ईट भट्टा समाधान योजना-15-16/ २६७ /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : मई ०६, २०१६

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर /समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिशनर (क०नि०)/असिस्टेन्ट कमिशनर(क०नि०),
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय : ईट भट्टा सीजन वर्ष 2015-16 (दि ०१.१०.२०१५ से ३०.०९.२०१६) तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोडों तथा राबिश की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू वं लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने से संबंधित समाधान योजना लागू किया जाना।

मुख्यालय के उपरोक्त विषयक परिपत्र संख्या संख्या- विधि-1(3) ईट भट्टा समाधान योजना-15-16/ 1999/ 1516050/वाणिज्य कर दिनांक 02.12.2015 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा सीजन वर्ष 2015-16 (दि ०१.१०.२०१५ से ३०.०९.२०१६) तक की अवधि हेतु ईट निर्माता व्यापारियों के लिए शासनादेश संख्या 1843/ग्यारह-२-२०१५-९(३२)/०९ दिनांक 02.12.2015 से लागू की गयी समाधान योजना शासन के निर्देश पत्र के साथ प्रेषित की गयी थी।

शासन के पत्र संख्या 615/11-२-२०१६-९(३२)/०९ दिनांक 06.05.2016 द्वारा प्रश्नगत गत ईट भट्टा सीजन वर्ष 2015-16 (दि ०१.१०.२०१५ से ३०.०९.२०१६) तक की अवधि हेतु निर्गत उक्त समाधान योजना को निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

" सीजन वर्ष 2015-16 (दि ०१.१०.२०१५ से ३०.०९.२०१६) तक की अवधि के लिये समाधान राशि, सीजन वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशियों में ५ प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आंगणित की जायेगी। समाधान राशि ₹० 100/- के पूर्णांक के रूप में निर्धारित की जायेगी। सीजन वर्ष 2015-16 की समाधान योजना के विकल्प हेतु प्रार्थनापत्र व्यापारी द्वारा इस शासनादेश की तिथि के ०७ दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। समाधान प्रार्थनापत्र के साथ सीजन वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित समाधान धनराशि की कम से कम २५ प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। समाधान योजना के विकल्प हेतु बढ़ायी गयी उक्त तिथि तक देय समाधान की किश्तों पर उक्त तिथि तक कोई ब्याज देय नहीं होगा। "

शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.05.2016 की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करते हुए योजना का व्यापक प्रसार/प्रचार करायें एवं योजना के संबंध में सूचनायें पूर्व निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समयावधि के

अन्दर मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। यह पत्र कमिशनर, वाणिज्य कर के निर्देशों के क्रम में जारी है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांसंख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छाठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सरकारी अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट ग्रोसरीसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेंट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी ०कमि०/असि०कमि०(उ०न्या०कार्य०)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियों में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री राम किशोर अग्रवाल, सलाहकार वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, ८७/३४९ आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियांज, लखनऊ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कार्मस, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ।

- (34) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर,लखनऊ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
- (38) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि ३०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहाना रोड कानपुर।
- (41) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस।
- (42) प्रो० श्रीमती रंजना कक्षड़,१५ टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (43) डा० छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९ इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (44) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० ४५ चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -२४/ १,कुंजगली,चौक,वाराणसी।
- (46) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए सेक्टर २७ नोयडा।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)३०प्र०ट्रक आपरेटर्स,फेडरेशन (रजि०),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (48) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा),प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी ६०चाहचन्द इलाहाबाद।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामैत्री, लोहा व्यापार मंडल ३०प्र० प्रदेश ,१९ सुरेशबाग, कानपुर।
- (51) इन्डियन इण्ड०एसो०, १५९/ए -४, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु०नगर।
- (52) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्टर्न यू०पी०५२,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रीयल डिवीजन को०प० स्टेट लिं० ५१-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० ३-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा ३०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पंजी०-बी-२९, विधायकनिवास, दारूल सफा,लखनऊ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , ३०प्र०, ६ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए,उ० बी०एन०रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (62) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड,कैसर गंज रोड मेरठ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।
- (64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष तार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (३०प्र०)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायू०।
- (68) श्री मनोष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०डी०सी०-५१, राजनगर , गाजियाबाद।
- (70) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,१ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-१९४, सेक्टर-१०, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ ४३, सेक्टर-११, नोएडा।

- (74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू०पी०चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि०) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू०पी०शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्डेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
(79) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, आर - 13/24, राजनगर ,
गाजियाबाद ।
(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार , सेक्टर 62, नोएडा ।
(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष/ महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।
(82) श्री संजय कुमार सिंघानिया, अध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स, सिंघानिया भवन, हुमायूँपुर दक्षिणी दुर्गाबाड़ी रोड, गोरखपुर ।
(83) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ जिला कार्यालय डी-120, सेक्टर 10, नोएडा ।
(84) श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, जनरल सेक्रेटरी, यू०पी०टैक्स बार एसोसिएशन, 5/45 Ordely Bazar, वाराणसी
(85) श्री अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष/कोडिनेटर, 30प्र० कर अधिवक्ता संगठन, 7, देवेन्द्रपुरी कालोनी, बांसमंडी, लखनऊ ।
(86) श्री वीरेन्द्र नाथ गुप्ता , सचिव, एसोसिएट चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज आफ यू०पी० अलकनंदा इन्क्लेव, लौलाई, इन्द्रिया कैनाल
रोड सिकन्दर पुर खुर्द , निकट साई फार्म, चिनहट , लखनऊ ।


(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिशनर, बाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 06 मई, 2016

विषय: ईट भट्टा सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक) हेतु
ईट निर्माता व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1843/ग्यारह-2-2015-9(32)/09 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का बाब्त करें जिसके द्वारा ईट भट्टा सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक) के लिये समाधान योजना निर्गत की गयी थी।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारापरान्त उक्त शासनादेश द्वारा ईट भट्टा सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक) के लिये निर्गत समाधान योजना को शासन द्वारा निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. सीजन वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.10.2015 से 30.9.2016 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि सीजन वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये विभिन्न पायी के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशियों में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आगणित की जायेगी। समाधान राशि ₹0 100 के पूर्णांक के रूप में निर्धारित की जायेगी। सीजन वर्ष 2015-16 की समाधान योजना के विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र व्यापारी द्वारा इस शासनादेश की तिथि के 07 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। समाधान प्रार्थना पत्र के साथ सीजन वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित समाधान धनराशि को कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि जम किये जाने का प्रमाण संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। समाधान योजना के विकल्प हेतु बढ़ायी गयी उक्त तिथि तक देय समाधान की किश्तों पर उक्त तिथि तक कोई व्याज देय नहीं होगा।

2. कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी गणसमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अति भहस्त्रव्युध

एडित कार्यालय
(लाइन)कार्यालय
06-05-2016

भवदीय,

06/5/16

(बीरेश कुमार)

प्रमुख सचिव।

4/06
06-05-2016